SOCIETY REGISTRATION ACT 1973, (No.44 of 1973) MEMORANDUM & ARTICLES

OF

ASSOCIATION

OF

SOCIETY



Help & Helps Samiti

42/1293, Plot No.127, Gowardhan Chowk, Dr. Rajendra Nagar, Civil Line,

Raipur-492001, Chhattishgarh

helpandhelpssamiti@gmail.com

0771-4028122, 93016-60423, 93038-48916

XXX-Part.—21



छत्तीसगढ़ शासन

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

प्र. ग. राज्य- 2680 क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि
समिति जो तहसील ताईन
जिला रायपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44
के अधीन को पंजीयित की गई है।
दिनांक नबम्बर सन् 200 9 है 200 9 है



(डी. डी. महन्त) का आफ समितियों के डिल्टी रजिस्ट्रीय समितियों के रजिस्ट्रीय

GRPRJ-FS/171-3/2006-6000.



SOCIETY REGISTRATION ACT 1973, (No.44 of 1973)

This Act may be called the Madhya Pradesh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 and now known as Chhattisgarh Society Registrikaran Adhiniyam, 1973 Received the assent of the Governor of the 29th September, 1973, assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extraordinary), dated the 11th October, 1973). "Society" means a society registered of deemed to have been registered under this Act;

Our Samiti has been established and registered under the society's registration act 1973. Our Society Registration Number:

C.G.State-2680 dated 27th November 2009

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF

HELP & HELPS SAMITI

NAME

The name of the Society shall be "Help & Helps Samiti"

OFFICE ADDRESS:

The office of Help & Helps Samiti shall be situated in H.No. - 42/1293, Plot No.127, Gowardhan Chowk, Dr. Rajendra Nagar, within the jurisdiction of Civil Line police station in the District of Raipur of Chhattisgarh. The postal address of the society is;

H.No. - 42/1293, Plot No.127, Gowardhan Chowk, Dr. Rajendra Nagar, Civil Line, Raipur – 492001, Chhattisgarh India



JURISDICTION:

The jurisdiction of the Society shall extend to the entire state of Chhattisgarh.

OBJECTIVES:

The summarized aims and objectives of the Society shall be:

- a) Establish, construct, organise, consolidate, support, develop, conduct, acquire, take over, equip, endow, improve, alter, extend and or administer educational, voluntary and charitable institutions for the benefit of all persons irrespective of caste, creed, race and religion.
- b) Take over, manage, establish, administer, carry on, assist, conduct, develop, equip, alter, close down and dispose of with the permission of competent authorities, educational, charitable and benevolent institutions, organisations, orphanages, recreation centres, work guilds, hostels, libraries and such other activities of all kinds, in any part of Orissa in pursuance of this memorandum, for the benefit of the entire community irrespective of caste, creed, race or religion.
- c) Help dispel poverty, ignorance and diseases by whatever means possible
- d) Help and provide necessities of life to the handicapped and the disabled people of the community, to help people who are blind or dumb by providing for them necessary education, shelter, homes, by establishing them in their lives so as to enable them to earn their livelihood as also to help them in life if they are totally disabled.
- e) Establish, carry on and administer research centres, training institutions and / or welfare centres for the benefit of the community and to equip and manage such institutions.
- f) Help institutions, societies, organisations and centres by contributing voluntarily as the society would decide from time to time.
- g) Educate, aid and / or advice people to live a healthy, truthful, honest, sincere and perfect way of life in various aspects, vocations and walks of life and to help, aid and / or advice in the advancement and development of humanity and society and to diffuse useful knowledge, thoughts, ideas and information, especially through the medium of films, T.V., books, journals, news papers, bulletins, records etc.
- h) Establish, administer, or maintain facilities for general and special medical services to the public.
- i) Associate with the commissions and boards of the Union and State governments like Khadi Board, CSWB, NIPCID, NABARD, CAPART, NACO, State AIDS Control Societies, etc and government departments like Health and Family Welfare, Social Welfare, Rural Development, Panchayati Raj, Women and Child Development, Science



- and Technology, Agriculture and Irrigation and so on for conducting and promoting charitable, social, community health, scientific and development projects and activities.
- j) Engage and to remove managers, specialists, assistants, consultants and others and to pay them salaries, wages, gratuities, expenses, allowances and other remunerations.
- k) Negotiate with and enter into agreements with any government and non- government body as may seem conducive to the promotion or accomplishment of the objectives of the Help & Helps Samiti and apply for, obtain, collect, receive or recover from any government or non-government body such grants, allowances, rights, concessions and privileges as may seem from time to time desirable and to carry out, exercise, comply with and utilise the same.
- 1) Train and Organise village population, especially women to lead them to the formation and promotion of Self Help Groups and other rural institutions.
- m) Train and improve the capacity of rural institutions for problem identification, problem analysis, making action plans, resource mobilisation, monitoring and evaluation.
- n) Support rural institutions to develop and retain linkages with public and private individuals and associations and departments for strengthening and effective functioning of the rural institutions and their leadership.
- o) Encourage and promote co-operation and cooperative societies and Enterprises.
- p) Promote thrift and credit among the rural communities and make them competent to run/manage Credit Societies.
- q) Undertake Agricultural development activities, Run model farms, and organize farmers' groups.
- r) Promote formal and non-formal education/literacy and for that purpose run educational institutions.
- s) Build healthy communities through community health educations, health care services, sanitary and environment protection programmes.
- t) Provide legal aid training and legal aid services to protect fundamental human rights and individual protection from all exploitations.
- u) Undertake emergency relief activities during calamities, natural and otherwise.
- v) Promote, guide, support and facilitate the involvement of peoples's institutions in local governance by building linkages and undertaking collaborative ventures with local bodies.



- w) Promote cultural activities and groups and organise cultural programs.
- x) Collect, store, and process useful information and data and share the information with interested persons and groups; open and run public libraries and reading rooms, radio-TV clubs for the benefit of rural communities.
- y) Associate with similar social development groups or networks for strengthening social development process and programs.
- z) Receive donations and generate funds through public or private fund raising programs for the management of Help & Helps Samiti and for its various programs and activities

The brief aims and objectives of the Society are in Hindi as per the By-Laws shall be:

- 1. स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, खेलकूद अनुसूचित जाति— जनजाति एवं योजना सबंधित कार्य करना ।
- 2. समाज के विकास कार्य हेतु भारान के योजनाओं को संचालित करना जैसे जनजागरुकता सामाजिक कार्य सहायता इत्यादि ।
- 3. जल, विद्युत, भूमि, जंगल, खेत, औशधि आदि की बिगड़ती स्थिति की जानकारी एकत्रित करना, रोकथाम करना एवं भोधि कार्य करना ।
- 4. पर्यावरण, प्रदूशण, पशु-पक्षी आदि के क्षेत्र के उत्थान एवं भोध का कार्य करना ।
- 5. नशा मुक्ति हेतु लोगों को जागरुक करना तथा तम्बाखु, बीड़ी, सिगरेट, गुटका, नसीली प्रदार्थ का बिहिश्कार करने हेतु प्रेरित करना ।
- 6. आयुष, वनोशिध एवं चिकित्सा के संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना । आयुष, वनोशिध एवं चिकित्सा से उपचार हेतु लोगों को जागरुक करना ।
- 7. कुष्ट रोग, एड्स, कैंसर, अंधापन, टी.बी., मानसिक रोग, नसाखोरी, दांतो के बिमारीयाँ, पोलियो एवं अन्य बिमारीयाँ का टीकाकरण, जनजागरुकता कार्यक्रम रक्तदान, नेत्रदान, अंगदान के लिए शिक्षा, प्रोत्साहन एवं जनजागरुकता करना । निःशुल्क इलाज, निःशुल्क टीकाकरण, निःशुल्क दवाई वितरण इत्यादि के लिए कैम्प लगवाना एवं संचालन कराना तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में सहभागिता प्रदान करना । स्वास्थ्य संबंधि आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य संबंधि कर्मचारीयो को प्रि क्षण देना । स्वास्थ्य शिक्षा, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन इत्यादि संचालन करना ।
- 8. अपाहिज, अपगं, मुकबिधर के पुर्नवास, शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना तथा पथ भ्रष्ट बच्चों के लिए पुर्नवास शिक्षा एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण कराना ।



- 9. कृषि विभाग की गतिविधियों का संचालन करना । कृषि संबंधी विस्तार सेवाओं को मजबुत बनाना । कृषि उद्यानिकि विकास हेतु गप्रमिण प्राद्योगिकी को प्रोत्साहन करते हुए जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण, प्राद्योगिकी प्रर्दशन एवं जागरुकता करना । लघु कृषक, कृषि व्यापार संघ की सहायता एवं गतिविधियों का संचालन करना । झुम खेती क्षेत्र के लिए वाटरसेड विकास परियोजना का संचालन करना ।
- 10. प्राकृतिक आपदाओं में सेवा कार्य संचालित करना ।
- 11. क्षेत्र में कीटनाशक प्रंबधन प्रयास को सुदृढ़ बनाने और उन्हें आधुनिक बनाने संबंधी योजना के जागरुकता एवं संचसलित करना । बागवानी फसलो के लिए प्रोत्साहन सेवा, सुचना सेवा, भीत भंडारों का विकास, बाद्यबानी उत्पादनों के लिए भंडारों का विकास एवं विस्तार, बढावा देने के लिए तकनीक विकास एवं अंतरण । राष्ट्रीय/क्षेत्रीय कृषि विकास योजना को लोगों तक पहुचाना । सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिगं एवं प्रर्दशनी के माध्यम से कृषि के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना ।
- 12. राष्ट्रीय / क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के गतिविधियों का संचालन करना ।
- 13. संचार एवं सुचना प्राद्योगिकी (इलेक्ट्रानिकी एवं सुचना प्राद्योगिकी) विभाग की गतिविधियों का संचालन करना । सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिगं एवं प्रर्दशनी के माध्यम से संचार एवं सुचना प्राद्योगिकी के नई तकनीक बताना एवं प्रोत्साहन करना । संचार एवं सुचना प्राद्योगिकी की शिक्षा एवं जागरुकता कार्यक्रम संचालित करना । संचार एवं सुचना प्राद्योगिकी के लिए भोध एवं विकास परियोतना का कार्य करना ।
- 14. संस्कृति विभाग गतिविधियों का संचालन करना । संस्कृति विभाग के लिए पुस्तक मेला/प्रदर्शनी/प्रचार/परिसंवाद इत्यादि का कार्य करना । भोध एवं विकास परियोजना , विज्ञपन, जागरुकता कार्यक्रम करना ।
- 15. पर्यावरण एवं वन विभाग के सेमिनार, वर्कशाप, ट्रेनिगं स्पर्धा एवं प्रर्दशनी इत्यदि करना । पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु जांगरुकता का कार्यक्रम करना । पर्यावरण एवं वन विभाग के गतिविधियों का संचालन करना । पर्यावरण एवं वन विभाग हेतु विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना ।
- 16. पृथ्वी विज्ञान संबंध मे सेमिनार, वर्कशाप, जागरुकता कार्यक्रम करना । पृथ्वी विज्ञान के संबंधीत खोज, वायुमंडल, मौसम, आपदा प्रबंधन, इत्यादि कार्य करना ।
- 17. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संबंध मे सेमिनार, ट्रेनिगं, वर्कशाप, जागरुकता कार्यक्रम करना ।
- 18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना । मानव संसाधन विकास हेतु सेमिनार, ट्रेनिगं, वर्क ॥प, जागरुकता कार्यक्रम करना ।



- 19. श्रम और रोजगार मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना । श्रम और रोजगार हेतु सेमिनार, ट्रेनिगं, वर्कशाप, जागरुकता कार्यक्रम करना । श्रम और रोजगार झुलाघर, शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना । श्रम और रोजगार विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना ।
- 20. खादि एवं ग्रामोद्येग हेतु सेमिनार, ट्रेनिगं, वर्कशाप, जागरुकता कार्यक्रम करना । खादि एवं ग्रामोद्योग शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना । खादि एवं ग्रामोद्येग विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना । खादि एवं ग्रामोद्येग के उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना ।
- 21. अल्पसंख्यक समाज हेतु सेमिनार, ट्रेनिगं, वर्कशाप, जागरुकता कार्यक्रम करना । अल्पसंख्यक उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना ।
- 22. अल्पसंख्यक विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना । अल्पसंख्यक छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिगं / वर्कशाप सेंटर इत्यादि का देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 23. पंचायती राज शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिगं / वर्कशाप इत्यादि पर कार्य करना । पंचायती राज उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना ।
- 24. पंचायती राज हेतु ग्रामिण व्यवसाय केन्द्र, शिक्षा केन्द्र, पौढ़ शिक्षा केन्द्र इत्यादि का देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 25. योजना आयोग शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । योजना आयोग उन्नित, प्रगति, के विषय मे कार्य करना । योजना आयोग छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिगं/वर्कशाप सेंटर इत्यादि का संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 26. सड़क सुरक्षा शिक्षा, ट्रेनिगं / वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना ।
- 27. गप्रिमण विकास शिक्षा, स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । गप्रिमण विकास छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिगं/वर्कशाप सेंटर इत्यादि का संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 28. ग्रामिण विकास विशेष क्षेत्र आधार पर कार्य करना । जनविकास इत्यादि कार्यक्रम करना । केन्द्र शासन व राज्य भारसन द्वारा प्रसारित जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन व संचालन में सहभागिता प्रदान करना ।
- 29. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के गतिविधियों का संचालन करना । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं / वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना ।



- 30. सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । सामाजिक न्याय और अधिकारिता उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना ।
- 31. वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम, महिला आश्रम, मुख–बिधर आश्रम, विकलांग आश्रम, इत्यादि का संचालन, देख–भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 32. जनजातीय कार्य मंत्रालय शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं / वर्कशाप सेमिनार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना ।
- 33. जनजातीय कार्य उन्नति, प्रगति, के विषय में कार्य करना । निःशुल्क कोचिंग, अस्पताल, छात्रावास, विद्यालय, महाविद्यालय, प्रयोगशाला, ट्रेनिगं/वर्कशाप सेंटर इत्यादि का संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 34. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के गतिविधियों का संचालन करना । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना ।
- 35. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के योजना उज्जवला, स्वधार, स्वयं सिद्धा, सबला, इत्यादि कार्यक्रम/योजना/आश्रम/भवन का संचालन, देख–भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 36. समाज कल्याण बोर्ड के गतिविधियों का संचालन करना । समाज कल्याण बोर्ड शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं/वर्कशाप सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण का कार्यक्रम संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना । समाज कल्याण बोर्ड झुलाघर, अल्पवास गृह, कार्यरत महिला छात्रावास, परिवारिक परामर्श केन्द्र, इत्यादि का संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना ।
- 37. युवा कार्य एवं खेल शिक्षा स्वरोजगारी ट्रेनिगं / वर्कशाप सेमिनार, प्रदर्शनी, बाजार, जागरुकता इत्यादि पर कार्य करना । विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, क्रियाकलाप, का कार्यक्रम संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था करना।
- 38. शिक्षण संस्थाओं का स्थापना कर शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ।
- 39. राष्ट्रीय एड्स नियत्रंण संगठन के कार्यक्रम को संचालित करना । एड्स जागरुकता हेतु विभिन्न जागरुकता शिविर, सेमीनार, ट्रेनिंग, कार्यशालाओं एवं भोध संबंधि कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- 40. युवा कार्य एवं खेल विकास संबंधि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, कियाकलाप कार्यक्रम संचालन, देख—भाल एवं व्यवस्था, करना ।



DECLARATION

We the aforementioned signatories are desirous of forming Help & Helps Samiti as detailed above and with the accompanying rules and regulations (By-Laws) and as proof of our resolution we have affixed our signatures here above. The facts stated above are true to the best of our knowledge.

SI. No.	Name with age and Father's name	Address	Designation	Occupation	Signature
1	Shib Sankar Saha S/O- Shri.G.C. Saha Age:-29	H.No-79, Sector-2, Gitanjali Nagar, Raipur (C.G.)	President	Business	Sobo
2	Mohan Andani S/O- Shri.G.D.Andani Age:-49	H.No-21/1164, Shyam Nagar, Raipur (C.G.)	Vice- President	Self Employed	Copie
3	Sumeet Rathore S/O- Shri.S. K. Rathore Age:-25	Sr.MIG-32, H.B. Colony, Avanti Vihar Raipur (C.G.)	Secretary	Self Employed	Simo
4	Hanish Verma S/O- Shri.N.R.Verma Age:-28	52/216, Lakhe Nagar, Raipur (C.G.)	Vice- Secretary	Lectural	Hround
5	Rajesh Rathore S/O- Shri.R.H.Rathore Age:-40	Vill-Sewani, Tah- Janjgir, Dist- Janjgir- Champa (C.G.)	Treasurer	Self Employed	रामिश
6	Suntu Sengupta S/O- Shri.N.C.Sengupta Age:-46	6/2, Sanchita Plaza, Nehru Parisar, Nehru Nagar, Railway Crossing, Bhilai Nagar, Dist- Durg (C.G.)	Member	Self Employed	- Santu
7	Dinesh Yadav S/O-Shri.S.Yadav Age:-27	Vill- Belghana, Block- kota, Dist- Bilaspur (C.G.)	Member	Self Employed	14-121 2116



SOCIETY REGISTRATION ACT 1973, (No.44 of 1973)

ARTICLES OF ASSOTIATION OF HELP & HELPS SAMITI

NAME

The name of the Society shall be "Help & Helps Samiti"

OFFICE ADDRESS:

The office of Help & Helps Samiti shall be situated in H.No. - 42/1293, Plot No.127, Gowardhan Chowk, Dr. Rajendra Nagar, within the jurisdiction of Civil Line police station in the District of Raipur of Chhattisgarh. The postal address of the society is;

H.No. - 42/1293, Plot No.127, Gowardhan Chowk, Dr. Rajendra Nagar, Civil Line, Raipur – 492001, Chhattisgarh India

JURISDICTION:

The jurisdiction of the Society shall extend to the entire state of Chhattisgarh.

MEMBERSHIP:-

The membership of the society is open to any person or persons who has attained the age of majority and fulfills the terms and conditions of the society without discrimination of the religion, caste, color or creed but subject to the approval of the Governing Body. If the membership is refused to a certain person or persons the reason of refusal shall be commentated to the concerned person.

Any person desirous of becoming member shall submit a written application to that effect to the Governing Body of Help & Helps Samiti and the Governing Body shall decide upon the request for admission



i) Membership Elegibility:-

- a) Shall be a citizen of India
- b) Age more than 18 years
- c) Obey Society rule & regulation
- d) Good behavioral and non-alcoholic person

ii) SUBSCRIPTIONS:-

- a) The admission fees will be Rs.1100/- at the time of admission.
- b) The life member shall pay the amount of Rs.3500/- in lump-sum to the society and will be entitled to caste the vote.
- c) The Hon'ble Members will pay Rs.100/- per year but will not be entitled to caste the vote.
- d) Any office bearer or member of the society will have to pay the life Membership of Rs.5000/-.
- e) The ordinary member shall have to pay Rs.50/- per year as Subscription but will not be entitled to caste the vote.

NOTE:-Only the life Member as well as the governing body members shall be eligible to caste the vote and to elect/or appoint the New Governing Body etc.

iii) TERMINATION OF MEMBERSHIP:-

The Governing Body shall have the powers to expel a member from the Society on the following terms and conditions:

- a) If any member leaves India permanently;
- b) Nondescript behavior, mentally challenge and expire.
- c) If goes against the Society or not obeying rule & regulation of the Society.
- d) Non-payment of subscriptions continuously for three months from the due date.
- e) On his/her written resignation.



- f) He/she has not attended the three consecutive meetings of the General Body without any intimation.
- g) If she/he is convicted or sentence for any criminal offence.
- h) Becomes active member of any other similar organisations or Political parties.
- i) Is proved to have misappropriated any money of Help & Helps Samiti

iv) APPEALS:-

All the appeals should be referred to the General Body of the Society. The decision of the General Body approved by Governing Body shall be final. The reason of rejection shall be communicated to the member concerned.

v) RE-ADMISSION:-

In case a member is expelled by the General Body and Governing Body the same can be re-admitted provided the member concerned pays all upto date dues, the decision of the General Body approved by Governing Body shall be final this clause is applicable to the only clause 3(b).

GOVERNING BODY:-

The Governing Body shall be constituted by election from and by the Annual General Body of Help & Helps Samiti. The strength of the Governing Body shall not be less than 7, and not more than 21. The meetings of the Governing Body shall be held as and when necessary for which 15 days clear notice shall be required and the quorum shall be 1/3rd.

Structure of Governing Body as under:-

S.No.	Post	No. of Post	
1.	President	One	
2.	Vice President	One	
3.	Secretary	One	
4.	Vice Secretary	One	
5.	Treasurer	One	
6.	Members	two	



FUNCTIONS OF THE GOVERNING BODY:-

- a) Admit new members to Help & Helps Samiti or terminate membership as per provisions of this Byelaw.
- b) To arrange finance if required from other Bank(s). Institutions or Individuals on reasonable terms and conditions and the Governing Body as a whole shall be liable for its return.
- c) To produce last year Financial Report in General Body Meeting
- d) To provide salary for office bearer and pay tax for Society Assets if any.
- e) The Governing Body shall make plan for the future programs of the Society.
- f) To publish literature and to propagate the system to approach the public pertaining to upliftment of status of the Society.
- g) To appoint, terminate and fix duties of any staff.
- h) The Governing body shall meet at least once in three months.
- i) To accept, donations, charities, loans, grant properties, etc. from public other associations, Agencies, Govt. Department in the interest and for the promotion of aims and objectives of the Society.

GENERAL BODY:-

The general Body of Help & Helps Samiti shall consist of all persons admitted to and not terminated thereafter as members of Help & Helps Samiti.

- I) The General Body shall meet at least once in a year and shall also meet whenever found necessary.
- II) The General Body meeting shall be convened at 15 days notice to the members.
- III) The quorum necessary for the General Body meeting is the one fourth of the membership; however in extra-ordinary circumstances no quorum shall be required.
- IV) In the event of a second meeting after a meeting was called off for want of quorum and with the same agenda as for the first one no quorum shall be required; a subsequent meeting may be convened not before seven days and within a reasonable period of time from the date of the meeting.



- V) The President shall be obliged to convene a meeting of the General Body if one third of members demand to do so.
- VI) The General Body can call for any information, record or money transaction for verification or scrutiny.

FUNCTIONS OF THE GENERAL BODY:-

- a) To consider any business brought forward by the Governing Body.
- b) There shall be an annual meeting of the General Body in the month of December in every year.
- c) Consider and approve the annual report, budgets, accounts and audited statement of accounts of the society.
- d) Elect the eligible members of the Governing Body.
- e) Appoint auditor or auditors and fix their remuneration.
- f) Consider and approve the budget of the society.
- g) Make amendments, additions, alteration and revocations in the Memorandum of Association of the society.

SOURCES OF INCOME:-

- a) Admission fee.
- b) Subscriptions
- c) Donations and special contributions.
- d) Management fees.

The income of the Society received from all sources will be utilized only for the promotion of the aims and objects.

BANK ACCOUNT:-

The account of the society shall be in the name of the society and shall be operated upon jointly by the President and Secretary and either or. For day expenses Treasurer can hold maximum rupees 3000/- (Three Thousand).



ELECTION AND QUORUM:-

The General Body in its annual meeting will elect its office bearers and members after two years by show of hands or by secret ballot papers. However, the same may be nominated, unanimously with one third majority in the interest of the Society. The quorum of the General Body and the Governing Body shall be 1/3rd. The election details of the Society will be submitted, in office of the Registrar of Societies.

MANAGEMENT OF FUNDS:-

All the income of the Society shall be deposited in the Nationalized or any other scheduled bank and will be utilized only for the promotion of the aims and objects.

REGISTER OF MEMBERS:-

The Society shall maintain at its Registered office, a Register of its members and shall enter therein the following particulars:-

- a) The names and addresses of the Society's members.
- b) The date on which the member was admitted.
- c) The date on which a member ceased on such membership.

RIGHTS AND PRIVILEDGES OF THE MEMBERS:-

All and every members of the Society:-

- a) Shall have one vote at every meeting.
- b) Shall be entitled to participate in the meeting, and the gathering of the Society.
- c) Shall have right to inspect the books of accounts, minutes of proceedings of the General Body meeting working day during business hours and giving reasonable notice.
- d) Shall be bound by the Rules and Regulations and/or bye-laws which may be framed time to time.
- e) To administer the oath of the office and loyalty of the Society and/or to its constitution, to the President.

FILLING UP CASUAL VACANCIES:-

The casual vacancies may be filled up by the resolution passed by both the Governing Body and the General Body. Till further election are held by the Society.



POWERS AND DUTIES OF THE OFFICE BEARERS:-

PRESIDENT:-

- a) He shall supervise all works and activities done by other office bearers of the Society.
- b) Represent Help & Helps Samiti in Govt and Public forums.
- c) He will be the head of the Society, and preside over the meetings of the General Body and the Governing Body. He will have the right of casting of votes in case of tie.

VICE PRESIDENT:-

In the absence of the President, the Vice President shall enjoy all powers and duties which are entrusted to the President. He will also help and assist the President in his work.

SECRETARY:-

- a) To convene all the meeting of the Association;
- b) To attend to all the correspondence;
- c) To maintain a complete and proper record of the Association and regulations framed there under;
- d) To attend a register of membership and minutes book;
- e) To submit the required returns and notices to the Registrar of Societies, as prescribed by law;
- f) To submit a report on the working of the Association as and when required;
- g) To transact such other business as may be deemed necessary and entrusted to him by the Governing body.

VICE SECRETARY:-

The vice secretary shall hold responsibilities of the Secretary in the absence of the Secretary on by reason of delegation

TREASURER:-

He/She shall keep accounts of all receipts and expenditure of the society and to furnish the necessary information to the Governing Body from time to time. He/She is sanctioned to keep with him/her Rs.5000/- and the balance amount will be deposited in the Society Bank account.



AUDIT:-

The account of the Society shall be audited at least once in a year by a qualified auditor appointed by the Governing Body.

FINANCIAL YEAR:-

The financial year of the Society shall start from 1st day of April to 31st day of March every year.

TENURE:-

The Tenure of the Governing Body shall be three years.

AMENDMENT:-

Any amendment in the Memorandum of Association and Rules and Regulations of Society will be carried out in accordance with section 44 of Societies Registration Act, 1973.

ALTERATIONS, EXTENTION OR ABRIDGEMENT:

The Governing Body, when deems it advisable to alter, extend or abridge or to amalgamates such society, may submit the proposition to the members in a written or printed report and may convene a special meeting, for which 10 days notice is necessary. The proposition shall have effect only if it is agreed to by the votes of three fifth of the members delivered in person or by proxy and confirmed by the votes of three fifths of the members present at a second special meeting convened by the Governing body at an interval of one month after the former meeting.

The association of society is in Hindi as per the By-Laws shall be:

- 5. सदस्यता संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे :--
 - (अ) संरक्षण सदस्य :- संस्था को जो व्यक्ति दान के रुप में रुपये 5000 / या अधिक एकमुश्त यर एक साल में बारह किश्तो देगा वह समिति का संरक्षण सदस्य होगा ।
 - (ब) <u>आजीवन सदस्य</u> :— जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपये 3500 / या अधिक देकर आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 2000 / — या अधिक संरक्षण सदस्य बन सकता है ।
 - (स) साधारण सदस्य :- जो व्यक्ति 2000 / रु.प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल उसी अविध के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के छः माह तक चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है ।



- (द) <u>सम्मानीय सदस्य</u> :— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है ऐसे सदस्य साधारण सभा की बेठक मे भाग ले सकते हैं परन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।
- 6. <u>सदस्यता की प्रप्ति</u> :— प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।
- 7. <u>सदस्यों की योग्यता</u> :— संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :—
 - (1) भारतीय नागरिक हो ।
 - (2) आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
 - (3) समिति के उद्देश्यों एवं नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो ।
 - (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।
- 8. सदस्यता की समाप्ति :- संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी-
 - (1) चारित्रक दोष होने पर पागल होने पर या मृत्यु हो जाने पर ।
 - (2) समिति विरोधी कार्य करने एवं नियमावलि की अवहेलना करने पर ।
 - (3) संस्था को दिये चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
 - (4) त्याग पत्र देने व उसे स्वीकार होने पर ।
 - (5) कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रुप में देना होगा ।
- 9. सदस्यता पंजी :-

संस्था कार्यालय में सदस्यों की पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरो दर्ज किये जावेगे—

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता, व्यवसाय,
- (2) वह तारीख जिसमें सदस्यों को प्रवेश दिया व रसीद नं.
- (3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त की गई हो.
- (4) सदस्यों के हस्ताक्षर.



- 10. (अ) साधारण सभा :— साधारण सभा के नियम 5 में द ािये अनुसार श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आव यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह दिसम्बर तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निरिचत कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी । बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आाम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाई जरवेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन मे पदाधिकारियों का विधिवत् चुनाव कराया जावेगा ।
 - (ब) प्रबंधकारिणी सभा :- प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाना आव यक होगा । यदि बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जिसके लिये कोरम की कोई भार्त नहीं होगी ।
 - (स) विशेष :— यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जाएगी विशेष संकल्प पारित हो जाने हेतु आवेदन करें तो उनकेदर्शाये विषय पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा । पंजीयक को इस संबंध में आव यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :--

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो ।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय—व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना ।
- 12. <u>प्रबन्धकारिणी का गठन</u> :— ट्रस्टीज सदि हो समिति के पदेन सदस्य रहेगें । नियम 5 (अ,ब,स) मे दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर मे दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधिकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा । (1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोशाध्यक्ष (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य–2



13. <u>प्रबंध सिमिति का कार्यकाल</u> :— प्रबंध सिमिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा सिमिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी सिमिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अविध 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :--

- (अ) जिस उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशाय की पुर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
- (ब) पिछले वर्ष का आय—व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
- (स) समिति एवं उसके अधिन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना । संस्था की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वरले कर आदि का भुगतान करना ।
- (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
- (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए ।
- (च) संस्था की समस्त चल-अचल संपत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम रहेगी ।
- (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विकय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जाएगी ।
- (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विषेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।
- 15. <u>अध्यक्ष के अधिकार</u> :— अध्यक्ष साधारण सेगा तथा प्रबन्धकारिणी समिति की समस्त बैठकों का अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साध्सरण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा ।
- 16. <u>उपाध्यक्ष के अधिकार</u> :— अध्यक्ष के अनुपरिथित में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा तथा प्रबन्धकारिणी की समस्त बैठकों का अध्यक्षता करेगा ।

17. सचिव (मंत्री) के अधिकार :--

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय—समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना ।



- (2) समिति की आय—व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधरण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना ।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना उनका निरीक्षण करना व अनीयमितता पायेजाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना ।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 2500 / रुपये व्यय करने का अधिका होगा ।
- 18. संयुक्त सचिव के अधिकार :- सचिव की अनुपरिथित में संयुक्त सचिव कार्य करेगा ।
- 19. <u>कोशाध्यक्ष के अधिकार</u> :— समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना ।
- 20. बैंक खाता :- संस्था के समस्त निधि किसी राष्ट्रीयकत बैंक या पोस्ट अफिस में रहेगी धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्ष्रों से होगा । दैनिक व्यय हेतु कोशाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 3000/- रु. रहेगें ।
- 21. <u>पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी</u>:— अधिनियम के धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय—नियम भाुल्क के साथ भेजेगी।
- 22. संशोधन :- संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा । यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा । संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियम भाुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी ।
- 23. विघटन :- संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जायेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।
- 24. सम्पत्ति :- संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी । संस्था की अचल संम्पत्ति (स्थावर) राजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियमाशुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी ।
- 25. बैंक खाता :- संस्था की समस्त निधि का खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट- ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।



- 26. <u>पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना</u> :— संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आव यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें को बैठक बुलाने का अधिकार होगा । साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा ।
- 27. विवाद :— संस्था में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमित से सुलझाने का अधिकार होगा । सिद इस निश्चित या निर्णय से संतोष न हो तो वह रिजस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेगें । रिजस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा । संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रिजस्ट्रार को होगा ।



DECLARATION

Names, Address, Occupation of the members' signatory to the Memorandum of Association of Society as explained above:

SI. No.	Name with age and Father's name	Address	Designation	Occupation	Signature
1	Shib Sankar Saha S/O- Shri.G.C. Saha Age:-29	`H.No-79, Sector-2, Gitanjali Nagar, Dist:-Raipur (C.G.)	President	Business	John
2	Mohan Andani S/O- Shri.G.D.Andani Age:-49	H.No-21/1164, Shyam Nagar, Dist:- Raipur (C.G.)	Vice- President	Self Employed	Coals
3	Sumeet Rathore S/O- Shri.S. K. Rathore Age:-25	Sr.MIG-32, H.B. Colony, Avanti Vihar Dist:-Raipur (C.G.)	Secretary	Self Employed	Simes
4	Hanish Verma S/O- Shri.N.R.Verma Age:-28	52/216, Lakhe Nagar, Dist:-Raipur (C.G.)	Vice- Secretary	Lectural	Hverma
5	Rajesh Rathore S/O- Shri.R.H.Rathore Age:-40	Vill-Sewani, Tah- Janjgir, Dist- Janjgir- Champa (C.G.)	Treasurer	Self Employed	शजेश
6	Suntu Sengupta S/O- Shri.N.C.Sengupta Age:-46	6/2, Sanchita Plaza, Nehru Parisar, Nehru Nagar, Railway Crossing, Bhilai Nagar, Dist- Durg (C.G.)	Member	Self Employed	- Carla
7	Dinesh Yadav S/O-Shri.S.Yadav Age:-27	Vill- Belghana, Block- kota, Dist- Bilaspur (C.G.)	Member	Self Employed	क्लिका याद
8	Krishna Kumar Yadav S/O-Shri.B.R.Yadav Age:-38	Behind Krishna Provision Store, Matpara, Raipur (C.G.)	Member	Business	Tyalar
9	Luran Bai Rathore D/O- Shri.D. C.Rathore Age:-39	H.No 1161, East Chimni Batta-2, Dist Korba (C.G.)	Member	House Wife	MA
10	Malti Rathore D/O- Shri.D. C.Rathore Age:-39	1-J, Bhilai Nagar,Street No 34, Dist:-Durg (C.G.)	Member	House Wife	Malti



11	Seema Rathore S/O- Shri.R.H.Rathore Age:-	Sr. Mig-32, MPHB Colony, Avanti Vihar, Dist:-Raipur (C.G.)	Member	Self Employed	निमा राष्ट्रीर
12	Malvika Rathore S/O- Shri.S. K. Rathore Age:-2	Sr. Mig-32, MPHB Colony, Avanti Vihar, Dist:-Raipur (C.G.)	Member	Student	ARC.
13	Chatrapal Rathore S/O-Shri.C.Rathore Age:-27	H.No LIG-29, Word No20,Sharda Vihar, Dist Korba (C.G.)	Member	Farmer	6714 M

